कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2545/11–सी–FP/UP/Road/30203/2017, लखनऊः दिनांकः फरवरी 27,2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसढ़ चौराहे से बाघागाड़ा तक) किमी0 0.000 से 3.250 के फोर लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के कार्य में 4.225 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 226 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक–3046/2–6, दिनांक–22.02.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञनिक नाम एवं व्यासवार उसका मूल्य, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है तथा ऑनलाइन भाग–2 में केवल 107 वृक्ष ही अपलोड किये गये है, जो कि अपूर्ण है।

2– प्रस्तावित वनभूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।

3– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने गैर वनभूमि पर 06 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है जो कि अपूर्ण है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।

4– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है, किंतु शीर्षक व लीजेण्ड अंकित नही है तथा प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर नही है। अतः संशोधित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।

5– प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर नही है।

6– मलवा उत्सर्जन का विवरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न है किन्तु प्रमाणपत्र रिटेल आउटलेट से सम्बन्धित है जो कि त्रुटिपूर्ण है अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रमाणपत्र संलग्न करें।

7– आनलाईन भाग–1 व हार्डकापी के भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः आनलाईन के अनुसार एक समान परियोजना की लागत अंकित करें।

8– ऑनलाइन भाग–2 में क्रमांक–7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड है अतः यहां शून्य फीड करें।

9– पृस्ठ सं0 45 पर संलग्न प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया है कि 4.225 हे0 सं0 वनभूमि पर वनविभाग का स्वामित्व है, स्पस्ट करें कि प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित है या आरक्षित? क्योकि संरक्षित वन भूमि पर वन विभाग के स्वामित्व का कोई औचित्य नही है।

10– पृस्ठ सं0 50 पर संलग्न स्वामित्व संबन्धित प्रमाण पत्र त्रुटि पूर्ण है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
27/2/18

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– FP/UP/Road/30203/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, गोरखपुर।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1726